कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांकः राजस्व/2017/1902 दिनांकः 08 अप्रेल, 2017

–: आ दे श :–

अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड द्वितीय सवाई माधोपुर ने अवगत कराया है कि सवाई माधोपुर से शिवपुरी रोड स्टेट हाईवे सं 30 के चौड़ाईकरण हेतु सवाई माधोपुर कि.मी. 82/700 से बोदल कि.मी. 93/390 तक वन विभाग की 6.86 है0 भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि के बदले 6.86 है0 गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जानी है। इस भूमि के अभाव में उक्त सड़क मार्ग का कार्य लम्बे समय से अटका हुआ है, जिससे क्षेत्र की आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर) से सड़क के चौड़ाईकरण के लिए ली जाने वाली 6.86 है0 वन भूमि के बदले तहसील, सवाई माधोपुर के ग्राम आवण्ड में स्थित भूमि ख0नं0 758/1147 रकबा 2.35 है0 किस्म बारानी-2 सिवायचक लगानी एवं ख0नं0 809 रकबा 5.01 है0 में से 4.51 है0 किस्म बंजर सिवायचक कुल 6.86 है0 भूमि जो वन विभाग की भूमि से लगी हुई है वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना), सवाई माधोपुर को हस्तान्तरित की जाती है।

ह०
(केoसी0 वर्मा)
जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

क्रमांकः राजस्व/2017/1903-09 दिनांकः 08 अप्रेल, 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव,राजस्व (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुमोदनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
3. उप वन संरक्षक(कोर एरिया), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर को भिजवाकर लेख है कि सवाई माधोपुर कि.मी. 82/700 से बोदल कि.मी. 93/390 तक वन विभाग की 6.86 है0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम हस्तान्तरण करवावें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत सवाई माधोपुर.
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वितीय खण्ड सवाई माधोपुर
6. तहसीलदार, सवाई माधोपुर को भिजवाकर लेख है कि उक्त भूमि का उप वन संरक्षक (कोर एरिया), रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर कब्जा संभलवाने की व्यवस्था करें।
7. पटवारी हल्का लहसोड़ा द्वारा तहसीलदार, सवाई माधोपुर
8. रक्षित पत्रावली

पट0 लहसोड़ा को
...

जिला कलेक्टर,
सवाई माधो.

नामान्तरण रजिस्टर ग्राम - आवण्ड पटवारी हल्का लहरपोडा भू.अ.निरी. लहरपोडा तहसील - प.मा. जिला-राजनांदगांव

प्रविष्टि की क्रम संख्या	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] वर्गीकरण	[illegible]	विशिष्टियों सहित कास्तकार का नाम	[illegible]	विशिष्टियों सहित कास्तकार का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible] (पुन:)वर्गीकरण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
342	1	758/1147 809 किता-2	2.35 5.01 7.36	बारानी 2 जंगल	— —	छिनाया ला के लगानी 142 लहरपोडा श्री [illegible] चौधरी [illegible] जांच हेतु [illegible] सही है 12-4-17		वन विभाग (रजवल्लौर बाद्य पड़ैयाजना) प.मा. [illegible] के अनुसार [illegible] सत्यापित 12/4/17	758/1147 1246/809 किता/2	2.35 4.51 6.86	जंगल जंगल		आदेश कार्यालय [illegible] कलेक्टर [illegible] आदेश क्रमांक/[illegible] 1902 दिनांक 8-4-17 व कार्यालय तहसीलदार भू.अ. क्रमांक /14/17/1492-93 दि-13-4-17	10-	श्रीमानजी, मुताबिक आदेश के अनुसार दर्ज -हट वास्ते जांच एवं तस्दीक हेतु सेवा में प्रेषित है 12-4-17 प० लहरपोडा

राजस्व हेतु

सत्यप्रतिलिपि
13-4-18

प्रमाणित

(केवल नकल के उपयोग के लिए) औरिक

[illegible] बी (खतौनी) ग्राम आमज पटवार मंडल लदहोड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लदहोड़ा तहसील [illegible] जिला [illegible] राजस्थान सम्वत् 2073 से 2076

खतौनी सं.								कृषक द्वारा		सम्वत् .... के लिए		सम्वत् .... के लिए		सम्वत् .... के लिए		
[illegible]	पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अन्तरण की विशिष्टियां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 129	राज. सरकार	सिवाय चक लगानी	758/1147	2.35	बारानी	—	—	—	राजादेश 342 / 12.5.17 द कार्यालय जिला कलेक्टर भू.अ. के आदेश की पालना में खसरा नम्बर 758/1147 2.35, 1246/809 रकबा 4.51 किता-2 रकबा 6.86 है. वन विभाग (खाबर [illegible] बांध परियोजना) [illegible] के नाम स्वीकार किया गया						
				809	5.01	[illegible]	—	—	—							
				कुल खसरा 2	कुल रकबा 7.36											

सत्यकार्य हेतु निःशुल्क जारी
सत्य प्रतिलिपि
13-5-18
प० लदहोड़ा

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम - आबन्द पटवार हल्का लहछोड़ा भू.अ.नि. लहछोड़ा तहसील - स.मा. जिला-सवाईमाधोपुर

2	1	758/1147 809 किता-2	2.35 5.01 7.86	बारानी 2 नंबर	—	विलायत चक सवाई		वन विभाग (रणथम्भौर बाघ परियोजना) स.मा.	758/1147 1246/809 किता 2	2.35 4.51 6.86	गैर मुमकिन [illegible]		आदेश जिला कलेक्टर [illegible] आदेश क्रमांक/[illegible] 1902 दिनांक 8-4-17 व कार्यालय तहसीलदार स.मा. क्रमांक [illegible]/17/1492-93 दि. 13-4-17	10-	श्रीमानजी, मुता० आदेश के नामा० दर्ज कर वास्ते जांच एवं तस्दीक हेतु पेश है। 12-4-17 प० लहछोड़ा	

1458 लहछोड़ा
श्रीमान जांच की। हल्का पटवारी की रिपोर्ट सही है। 12-4-17

स्वीकृत कलेक्टर [illegible] आदेश अनुसार सही [illegible] तस्दीक किया [illegible] 12/4/17

प्रमाणित [illegible] राजकार्य हेतु
[illegible] 13/4/17

सत्यप्रतिलिपि

उप वन संरक्षक एवं
उप निदेशक (प्रथम)